

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख..... तक

आदेश पत्रक

जिला- पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं० 213 / ~~2013-14~~ सन् ~~2013-14~~

10/11/57 1166

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
<p>13/4/13</p> <p>27/4/13</p> <p>27/4/13</p>	<p align="center">श्री मतीरेणु गुप्ता पति - स्व० सुभाष प्रसाद</p> <p>वल्द स्व० बृजानन्द प्रसाद ग्राम जईसिधौपुर पो०</p> <p>थाना बिहरा जिला पटना केवाला नं० 8521 दिनांक 24/03/2013</p> <p>के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="1"> <tr> <td>मौजा</td> <td>थाना नं०</td> <td>खाता नं०</td> <td>खेसरा</td> <td>एराजी</td> <td>लगान</td> </tr> <tr> <td>बिहरा</td> <td>37</td> <td>104</td> <td>327</td> <td>1850 काफ़ीट</td> <td>2.00</td> </tr> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 27/4/13 को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान	बिहरा	37	104	327	1850 काफ़ीट	2.00	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान									
बिहरा	37	104	327	1850 काफ़ीट	2.00									